



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1947 (श10)

(सं0 पटना 45) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

5 जनवरी 2026

सं० सी०/ए०एस०-50-42/2014-45/जे0—“लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012” की धारा-32(1) में निहित प्रावधानानुसार प0 चम्पारण (बेतिया) जिला में लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-VII) में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने तक कार्यकारी व्यवस्था के तहत श्रीमती शीला मिश्रा, अपर लोक अभियोजक (पंजीयन संख्या-3648/1999) को अनन्य विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो एक्ट के रूप में कार्यों का संचालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. श्रीमती शीला मिश्रा, अपर लोक अभियोजक का कार्यकाल पॉक्सो एक्ट के तहत अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में, प0 चम्पारण (बेतिया) जिला में अपर लोक अभियोजक का नवीन पैनल गठन अथवा उक्त न्यायालय में अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

3. इनके द्वारा अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में केवल पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों का संचालन किया जायेगा अन्य किसी भी मामले का संचालन नहीं किया जायेगा।

4. ये अपर लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में अनन्य विशेष लोक अभियोजक समझे जायेंगे।

5. विधि विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-1547/जे0, दिनांक-24.02.2023 में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत उक्त प्राधिकृत अनन्य विशेष लोक अभियोजक को, विशेष लोक अभियोजक का निर्धारित मासिक शुल्क अनुमान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव, बिहार ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 45-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>